AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका और राजनीतिक सहभागिताः हंसा मेहता तथा दुर्गाबाई देशमुख के विशेष संदर्भ में

ORIGINAL ARTICLE

Author
अभय कुमार शुक्ल
राजनीति विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली, भारत

शोध सार

संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश देता है। भारतीय संविधान के रचनाकारों ने संविधान में राष्ट्र के आदर्शों और संस्थाओं की कार्यसिद्धि हेतु कुछ प्रक्रियाएँ भी संस्थापित की थी। इन आदर्शों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक क्रांति तथा लोकतांत्रिक भावना का आदर्श शामिल था। संविधान सभा के सामने यह दायित्व था कि वह एक ऐसा संविधान तैयार करे जो सामाजिक क्रांति के अंतिम लक्ष्य और राष्ट्रीय जनजागरण के उद्देश्य को पूरा कर सके। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान पुरुषों के साथ–साथ देशभर की विभिन्न अभियानों से जुड़ी महिलाओं ने संविधान सभा मे अपनी सहभागिता को प्रदर्शित किया जो आजादी के आंदोलन मे कदम से कदम मिलाकर शामिल भी रही। इन महिलाओं में सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलाणी का नाम तो काफी प्रसिद्ध रहा है लेकिन इनके अलावा कई और महिलाएं भी हैं, जिन्होंने संविधान निर्माण से लेकर समाज निर्माण तक में अहम भूमिका निभाई । इस पेपर का उद्देश्य नवोदित भारत के निर्माण में उन महिलाओ के योगदान और राजनीतिक सहभागिता का स्पष्ट मूल्यांकन करते हुये उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रासंगिकता को रेखांकित करना है जो अकादमिक जगत में लगभग अनछुए रहे हैं इसमे हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख है । हंसा मेहता ने संविधान सभा की बहस में लैंगिक समानता, मानव अधिकारों, हिन्दू कोड बिल मे महिलाओ के तलाक के अधिकार तथा महिलाओ के शिक्षा संबंधी अधिकारों, वही दुर्गाबई देशमुख ने समाज के वंचित वर्गों के अधिकार, महिलाओ के संपत्ति मे हिस्सेदारी, शिक्षा संबन्धित आदि मुद्दे महत्वपूर्ण उठाए। ये उस समय के ऐसे मुद्दे थे जिसने नवोदित भारत की नीव रखी और भविष्य की राह दिखाई।

मुख्य शब्द

भारतीय संविधान, संविधान सभा बहस, लैंगिक समानता, मानव अधिकार, राजनीतिक सहभागिता.

प्रस्तावना

संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए महत्वपूर्ण दिशा– निर्देश देता है। भारतीय संविधान के रचनाकारों ने संविधान में राष्ट्र के आदर्शों और संस्थाओं की कार्य सिद्धि हेतु कुछ प्रक्रियाएँ भी संस्थापित की थी। इन आदर्शों में राष्ट्रीय एकता,सामाजिक क्रांति तथा लोकतांत्रिक भावना का आदर्श शामिल था। संविधान सभा के सामने यह दायित्व था कि वह एक ऐसा संविधान तैयार करे जो सामाजिक क्रांति के अंतिम लक्ष्य और राष्ट्रीय जनजागरण के उद्देश्य को पूरा कर सके। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान पुरुषों के साथ–साथ देशभर

की विभिन्न अभियानों से जुड़ी महिलाओं ने संविधान सभा मे अपनी सहभागिता को प्रदर्शित किया जो आजादी के आंदोलन मे कदम से कदम मिलाकर शामिल भी रही। इन महिलाओं में सरोजनी नायडू,विजय लक्ष्मी पंडित, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी का नाम तो काफी प्रसिद्ध रहा है लेकिन इनके अलावा कई और महिलाएं भी हैं,जिन्होंने संविधान निर्माण से लेकर समाज निर्माण तक में अहम भूमिका निभाई। इस शोधपत्र का उद्देश्य नवोदित भारत के निर्माण में उन महिलाओं के योगदान और राजनीतिक सहभागिता का स्पष्ट मूल्यांकन करते हुये उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रासंगिकता को रेखांकित करना है, जो अकादमिक जगत में लगभग अनछुए रहे हैं जिनमें हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख है। हंसा मेहता ने संविधान सभा की बहस में लैंगिक समानता, मानव अधिकारों, हिन्दू कोड बिल मे महिलाओं के तलाक के अधिकार तथा महिलाओं के शिक्षा संबंधी अधिकारों, वही दुर्गाबई देशमुख ने समाज के वंचित वर्गों के अधिकार, महिलाओं की संपत्ति मे हिस्सेदारी, शिक्षा संबन्धित आदि महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। ये उस समय के ऐसे मुद्दे थे जिसने नवोदित भारत की नींव रखी और भविष्य की राह दिखाई।

प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम और महिलाएं

यह सत्य है कि 1857 का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम एका एक प्रस्फुटित संग्राम नही था और न ही भारतीयों ने अंग्रेजों की अधीनता को सहज़, सरल ढंग से स्वीकार किया था, वरन 1757 से 1856 ई तक का पूरी सदी का इतिहास विभिन्न विद्रोहों से भरा पड़ा है, जिसने 1857 के संगठित विद्रोह की पृष्ठभूमि का मार्ग प्रशस्त किया था। इस अवधि में भारत की तत्कालिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण भारतीय स्त्रियां बाहर के कार्यों में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले सकती थी, परंतु कुछ राजघराने तथा निम्न वर्ग की कृषक स्त्रियों ने विद्रोहों में भाग अवश्य लिया था। मुक्ति संग्रामों में जहां कुछ राजघराने की रानियों का नेतृत्व उनकी शौर्य गाथा के रूप में लिखा गया,वही दूसरी ओर विद्रोह के अत्याचार की शिकार आम स्त्रियों के बलिदान को अनदेखा करके भी उन्हें इतिहास के पृष्ठों पर स्थान दिया गया।

उन्नीसवीं शताब्दी में महिलाओं में राजनैतिक चेतना जागृत हो चुकी थी और जैसा की प्रो. रोमिला थापर का मानना है कि ”महिलाओं की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने की वर्तमान समय में प्रमुख प्रेरणा स्वाधीनता के राष्ट्रीय आन्दोलनों द्वारा प्राप्त हुई। इस आन्दोलन का परिवर्तन 19 वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सामाजिक प्रभाव अब तक हमारे ऊपर हो रहे हैं।” यद्यपि कि भारतवर्ष में राजनैतिक चेतना 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से उत्पन्न हो गयी थी। आगे चलकर 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही यह जनसाधारण में उत्पन्न हो गई तथा स्त्रियों पर भी इसका प्रभाव परिलक्षित हुआ था। एक नवीन बुद्धिजीवी वर्ग का उदय इसी शताब्दी में हुआ था। इस समय की महिलाओं ने पुरुषों के समान राष्ट्रीय आंदोलनों एवं समाज सुधार के कार्यों में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरतमहल, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, ऊदा देवी, आशा देवी आदि ने वीरता का आदर्श प्रस्तुत किया,वहीं दूसरी ओर भारतीय पुर्नजागरण काल में महिलाओं ने राजनैतिक व सामाजिक चेतना से प्रेरणा ग्रहण कर राष्ट्रीय आंदोलन तथा समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा महिलाओ मे राजनीतिक सहभागिता की चेतना

19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही स्त्रियों की भूमिका में कुछ परिवर्तन हुआ । इस दौर में महिलाओं ने अपनी घरेलू भूमिका का निवर्हन करते हुए आंदोलन में भागीदारी की, किन्तु अब भी महिलाएँ पुरुषों के निर्देशानुसार ही कार्य कर रही थीं और उनकी राजनीतिक भागीदारी पुरुषों की स्वीकृति पर ही निर्भर थी। 1890 में भारतीय महिला उपन्यासकार स्वर्णकुमारी घोषाल तथा ब्रिटिश साम्राज्य की पहली महिला स्नातक कादंबरी गांगुली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं की यह सहभागिता प्रायः प्रतीकात्मक ही होती थी, क्योंकि सभी निर्णयों पर राष्ट्रवादी अभिजन पुरुष वर्ग का ही एकाधिकार था।

भारतीय स्त्रियों की जागृति तथा मुक्ति में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी का रहा। बीसवीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ महिला – उद्धार आंदोलन को पर्याप्त बल मिला और

राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक महिलाओं ने सक्रिय भूमिका भी निभाई। 1905–06 के बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से भाग लिया। इस चरण में पत्र–पत्रिकाओं, विशेषकर सभाओं व महिला संगठनों के माध्यम से अनेक महिलाओं को आंदोलन में सहभागिता हेतु प्रेरित किया गया। इस समय का गाया जाने वाला गीत 'वंदेमातरम्' बाद में संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का राष्ट्रीय गीत बन गया। भाई–बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन को बंग–भंग विरोधी आंदोलन में एक अनूठे रूप में प्रयोग किया गया, जिसमें बंगाली हिंदू व बंगाली मुस्लिमों ने एक–दूसरे के हाथों में राखियां बाँधी । स्वदेशी और बहिष्कार के इस आंदोलन में शहरी मध्यवर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएँ जुलूसों और धरनों में शामिल हुईं। ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए महिलाओं ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, जिसे 'पिकेटिंग' कहा जाता था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के क्रम में महिलाओं ने अपनी काँच की चूड़ियां तोड़ डाली और प्रतिरोध के अनुष्ठान के रूप में रसोई –बंदी दिवस मनाया।

इन गतिविधियों के अलावा महिलाओं ने स्वदेशी मेला लगाना शुरू किया। स्वामी श्रद्धानंद की पुत्री वेदकुमारी और आज्ञावती ने महिलाओं को संगठितकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। कालांतर में वेदकुमारी की पुत्री सत्यवती ने 1928 में साइमन कमीशन के दिल्ली आगमन पर काले झंडे दिखाये और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रकार बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलनों में महिलाओं की सहभागिता से स्पष्ट है कि पारिवारिक दायरे में रहते हुए व्यक्तिगत स्तर पर महिलाएँ आंदोलन में भागीदार बनने लगी थीं।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में महात्मा गांधी की भूमिका

महात्मा गांधी ने भारत में राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधी महिलाओं के अधिकारों के मामले में समझौता नहीं करते हैं। उनके अनुसार स्त्री पुरुष की साथी है और स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के समान अधिकारों के साथ उपहार में दी गई है। नारी मानवता की अर्धांगिनी है, कमजोर लिंग नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले पहले व्यक्ति थे।

महात्मा गांधी ने 1921 में यंग इंडिया में लिखा था कि नारी इन दोनों में से श्रेष्ठतर है, क्योंकि यह त्याग, मूक पीड़ा, विनम्रता, विश्वास और ज्ञान का प्रतीक है। "उन सभी बुराइयों के लिए जिनके लिए मनुष्य ने खुद को जिम्मेदार ठहराया है, मेरे लिए कोई भी इतना अपमानजनक, इतना चौंकाने वाला, या इतना क्रूर नहीं है जितना कि मानवता के बेहतर आधे हिस्से का दुरुपयोग, महिला सेक्स, कमजोर सेक्स नहीं,"। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जीवन की सभी गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है और पुरुषों की तरह स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के समान अधिकार हैं। "वह अपने गतिविधि के क्षेत्र में एक सर्वोच्च स्थान की हकदार है जैसा कि पुरुष अपने क्षेत्र में है," उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं का पिछड़ापन प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा है।

1930 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, गांधीजी ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किए गए लगभग 30,000 व्यक्तियों में से 17,000 महिला स्वयंसेवक थीं, जो महात्मा के नेतृत्व में उनकी समान भूमिका का एक विशिष्ट उदाहरण है।

गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में महिलाओं के उत्थान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। उनकी कार्रवाई के आह्वान को सुनकर बड़ी संख्या में महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपना आश्रय और एकांत अस्तित्व छोड़ कर बाहर आ गईं। कुलीन महिलाओं ने अपने सज धज और अलंकरणों को त्याग दिया और मोटे हाथ की खादी और हाथ से बनी चप्पल पहनकर खुशी–खुशी जेल की ओर प्रस्थान किया। कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू, अनसूया साराभाई, सुशीला नय्यर और मीराबेन गांधीवादी आंदोलन से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध महिलाएं हैं। भारतीय नारी की मुक्ति का मुख्य कारण सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय जीवन की गति के राजनीतिक जागरण को माना गया है। तीस के दशक में शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों का धरना लगभग विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था।

गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के बारे में गांधी के विचार और राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका 20वीं सदी के सुधारकों से

अलग थी। उन्होंने एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के संघर्ष में महिलाओं को एक संभावित शक्ति के रूप में देखा। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में लाने के लिए जानबूझकर निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि, वह इस तथ्य को स्वीकार करने में विफल रहे कि उत्पीड़न एक नैतिक स्थिति नहीं है, बल्कि उत्पादन संबंधों से संबंधित एक सामाजिक और ऐतिहासिक अनुभव है। दूसरी ओर इस बात पर जोर देते हुए भी कि एक महिला का वास्तविक कार्यक्षेत्र घर है, वह ऐसी स्थितियाँ बनाने में सहायक थी जो महिलाओं को घरेलूता की बेड़ियों को तोड़ने में मदद कर सकती थी।

भारतीय संविधान का निर्माण तथा महिलाओं की हिस्सेदारी

संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की रचना दिसम्बर,1946 से दिसम्बर, 1949 के दौरान की गई थी। सभा के गठन को मुख्यतः भारतवासियों की इच्छा का प्रतिफलन कहा जा सकता था। सभा के रूप में भारतवासियों को डेढ़ शताब्दी की अवधि में पहली बार अपने शासन का दायित्व उठाने का अवसर मिल रहा था। अब वे अपनी नियति का निर्माण, अपने घोषित उद्देश्यों का संधान और इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं की रचना करने के लिए स्वतंत्र थे। सभा के सदस्य इस बात से परिचित थे कि संविधान सिर्फ़ अपने बल पर नए भारत का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने वह मार्ग अवश्य आलोकित किया जिस पर चल कर यह कार्य पूरा किया जा सकता था। 389 सदस्यीय संविधान सभा में 15 विदुषी महिलाएं भी शामिल थीं, जिनमें दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम ऐजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दकश्यानी वेलयुद्धन, रेनुका रे, पुर्निमा बनर्जी, एनी मसकैरिनी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू व विजयलक्ष्मी पंडित हैं ।

महिला सदस्यों ने कुल मिलाकर चर्चा में 2 प्रतिशत का योगदान दिया

महिला सदस्य के नाम	शब्दो की संख्या
दुर्गाबाई देशमुख	22,905
बेगम एजाज रसूल	10,480
रेणुका रॉय	10,312
पुर्णिमा बनर्जी	9,013
दक्षिणानी वेलायुद्ध	4,415
एनी मास्कारेन	2,970
सरोजनी नायडू	2,342
हंसा मेहता	1,837
विजय लक्ष्मी पंडित	1,164
अम्मू स्वामीनाथन	1,056

1. सभा के पूरे कार्यकाल के दौरान, 15 महिलाएं विधानसभा का हिस्सा रहीं, जिनमें से 10 ने बहस में भाग लिया। उन्होंने सभा में लगभग 2 प्रतिशत चर्चाओं में योगदान दिया।
2. दुर्गाबाई ने लगभग 23,000 शब्दों में सबसे अधिक भागीदारी की। उन्होंने बहस के दौरान न्यायपालिका पर विस्तार से बात की।
3. अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, और दक्षिणानी वेलायुधन ने मौलिक अधिकारों पर बहस में भाग लिया।
4. हंसा मेहता और रेणुका रे ने भारत में महिलाओं के लिए न्याय पर बहस में भाग लिया।

हंसा मेहता

हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा के रहने वाले मनुभाई नंदशंकर मेहता के यहाँ हुआ था। हंसा ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के

साथ–साथ वह एक शिक्षिका और लेखिका भी थीं। उन्होंने गुजराती में बच्चों के लिए कई किताबें लिखीं और गुलिवर ट्रेवल्स समेत कई अंग्रेजी कहानियों का भी अनुवाद किया। वह साल 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गयी और साल 1945–46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उनके राष्ट्रपति के संबोधन में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का चार्टर प्रस्तावित किया।

हंसा मेहता संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य थीं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में 'ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल'को बदलकर 'ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल' करवाने के अभियान के लिए भी जाना जाता है। संविधान सभा में वह मुंबई के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थीं।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग

हंसा मेहता अपने 19 दिसम्बर 1946 के भाषण मे महिलाओ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की वकालत की जो उनके भाषण मे झलकता है, वो कहती हैं "स्वतंत्र भारत का आशय केवल स्थिति की समानता से ही नहीं, वरन् अवसर की समानता से भी होगा।" वो आगे कहती हैं कि "इस देश की सामान्य स्त्री शताब्दियों से उस पुरुष समाज के राजनियम, व्यवहार और रीति–रिवाज द्वारा लादी हुई असमानताओं से पीड़ित है जो कि सभ्यता के उच्च शिखर से, जिसका कि हम सबको गौरव था, पतित हो गया है, ऐसी हजारों स्त्रियां हैं, जिनको साधारण मानवी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उनको परदे के अन्दर घर की चहारदीवारी में बन्द रखा जाता है। वे स्वतंत्रतापूर्वक घर से बाहर भी नहीं जा सकती हैं। स्त्री की उन्नति करने में पुरुष केवल अपनी ही उन्नति नहीं करता, वरन् समस्त जाति की उन्नति करता है। स्त्रियों के संघ ने, जिसके सदस्य होने का मुझे गौरव है, कभी भी संरक्षित स्थान (Reserved Seats) अपना आनुपातिक भाग (Quota) या पृथक् निर्वाचन (Separate Electorate) की मांग नहीं की है। जो कुछ भी हमने मांगा है, वह सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय है। हमने केवल उस समानता की मांग की है, जो कि पारस्परिक सम्मान और समझौते का आधार हो सकती है और जिसके बिना पुरुष और स्त्री में वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। इस देश की आधी जनसंख्या स्त्रियों की है, इस कारण बिना उसके सहयोग के पुरुष अधिक अग्रसर नहीं हो सकता। यह प्राचीन भूमि आधुनिक जगत् में बिना स्त्रियों के सहयोग के अपना उचित और आदरणीय स्थान नहीं प्राप्त कर सकती।"

नीति निदेशक तत्वों के संबंध में

इसमें हंसा मेहता ने दो विषयों मे अपनी बात को रखा पहला मादक–पेय–निषेध, दूसरा–समान नागरिक संहिता। वो कहती है कि – हाल में बंबई के प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि वे जो कुछ कर रहे हैं संविधान के अनुसार ही कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ विभेद करना चाहती हूं। मादक द्रव्य प्रतिषेध के सम्बन्ध में गांधी जी का भी नाम लिया जाता है, किन्तु गांधी जी की यह इच्छा थी कि राज्य शराब न बनाये और न उसे बेचे और शराब की दुकानें भी बन्द कर दी जायें ताकि जिन लोगों को पीने की लत पड़ी हुई है उनके लिये कोई प्रलोभन न रहे। किन्तु. मेरे विचार से, गांधी जी की यह कभी भी इच्छा नहीं थी कि हम एक पुलिस सेना का संगठन करें गांधी जी कभी यह नहीं चाहते थे कि अच्छे साधनों से जो धन प्राप्त हो वह पुलिस पर व्यय किया जाये। हम दूषित आय को छोड़ देने के लिए तैयार है, किन्तु हम उत्पादन विभाग की पुलिस पर अच्छे साधन से प्राप्त लाखों रुपये क्यों खर्च करें? इसलिये इस सम्बन्ध में मैं यह विभेद करना चाहती हूँ संविधान में सन्निहित मादक द्रव्य–प्रतिशेध–विषयक नीति से तो मैं सहमत हूँ, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आज विभिन्न प्रान्तों में इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये जिस प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है उससे मैं सहमत हूँ।"

दूसरा विषय समान नागरिक संहिता का है वो कहती है कि: "मेरे विचार से इसका महत्व राष्ट्र–भाषा से भी अधिक है। इस देश में बहुत सी स्वीय विधियां हैं और इन विधियों के कारण आज हमारा राष्ट्र खंडित है, इसलिये यदि हम राष्ट्र को सुगठित करना चाहते हैं तो एक ही असैनिक संहिता को व्यवहार में लाना बहुत आवश्यक है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि हम जिस असैनिक संहिता को स्वीकार करें वह या तो देश में प्रचलित प्रगतिशील स्वीय विधियों के समान हो या उनसे अधिक प्रगतिशील हो, अन्यथा वह एक प्रतिगामी संहिता होगी और सब लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे।"

दुर्गा बाई देशमुख

दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंदरी, काकीनाडा में हुआ था। वह बहुत कम उम्र से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई थीं। 12 साल की उम्र में, उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को लागू करने के विरोध में स्कूल छोड़ दिया था। 14 साल की उम्र में, उन्होंने काकीनाडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया।

भारतीय संविधान के निर्माण मे दुर्गाबाई देशमुख की भूमिका

दुर्गाबाई देशमुख को मद्रास प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया था। संचालन समिति की सदस्य होने के नाते, संविधान सभा की बहसों में उन्होंने मुखर रूप से हिन्दू कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की पैरवी की। इसके अलावा, उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हिन्दुस्तानी (हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण) भाषा का राष्ट्रभाषा के तौर पर चयन और राज्य परिषद् की सीट के लिए उम्र सीमा 35 साल से कम करके 30 साल करने का भी समर्थन किया। राज्यपाल पद के बारे में उनका कहना था कि राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से न होकर निष्पक्ष हो और राजपाल केंद्र व राज्य शासन दोनों में संपर्क रखे। साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय करे।

मानव तस्करी से संबंधित अनुच्छेद 23 पर बहस के दौरान, उन्होंने 'शोषण के खिलाफ अधिकार' के पाठ में देवदासी प्रथा को शामिल करने के खिलाफ तर्क दिया। उसने कहा कि यह मुद्दा जल्द ही खत्म हो जाएगा और इसलिए संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है

दुर्गाबाई देशमुख ने अपने वक्तव्य मे कहती है कि– " जब यह विधेयक अधिनियम बन जायेगा तब इससे भारत में न्यायिक स्वशासन का युग आरंभ हो जायेगा। उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं वे इस देश की राजनैतिक और सांविधानिक स्वतन्त्रता के फलस्वरूप ही हैं। जब संविधान पारित हो जायेगा तब हमारे संघीय

न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की संज्ञा दे दी जायेगी। वह सब उच्च न्यायालयों के लिये अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा और संविधान के निर्वचन के लिये न्यायिक प्राधिकारी भी होगा। हम चाहते हैं और आशा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय, जो संविधान का तथा उसमें प्रत्याभूत मूल अधिकारों का संरक्षक होने वाला है, अपने कृत्य को सुचारु रूप से पूरा करेगा तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कहने का अवसर मिलेगा कि उसने उसके अधिकारों की संविधान के सच्चे संरक्षक के रूप में रक्षा की है।"

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी

दुर्गाबाई देशमुख ने राष्ट्रभाषा के संदर्भ में बहस मे कहा कि– "श्रीमान्,भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी के अतिरिक्त, जो हिन्दी तथा उर्दू का योग है, कुछ और नहीं होनी चाहिये और कुछ और हो भी नहीं सकती है। हमारे लिये यह कम त्याग की बात नहीं है कि हमारे उन मित्रों की भावनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए जिन्होंने देवनागरी लिपि में हिन्दी को स्वीकार कर लिया है, हमें उस सिद्धान्त का त्याग करना पड़ रहा है जिसके लिये हम अब तक लड़े हैं और जिये हैं। यह त्याग हमारे लिये बहुत बड़ी असुविधा है और हमें बहुत दुःख है कि हम गांधी जी के इस सहिष्णुतापूर्ण सिद्धान्त को, गांधी जी के इस दर्शन को और गांधी जी की इस बात को छोड़ने के लिये तैयार हो गये हैं कि भारत की राजभाषा वह होनी चाहिये जिसे सब समझते हैं और आसानी से बोल और सीख सकते हैं। श्रीमान्, हमने यह त्याग किया है।"

निष्कर्ष

भारत का संविधान अपनी आधिकारिक शुरुआत से लेकर आज तक अपने संकल्पों पर खरा उतरा है; इसने सभा की संकल्पना और विश्वास को सही सिद्ध किया है। संविधान का आंकलन केवल इसी आधार पर किया जा सकता है कि वह उन परिस्थितियों से निपटने में कितना सक्षम रहा जिन्हें सामने रख कर उसकी रचना की गयी थी या कि वह उन सम्भावित परिस्थितियों का अन्दाज़ा कितना पहले लगा सका जो उसके सामने उत्पन्न होनी थी अथवा उससे शासित होने वाले लोग उसके प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि जनता की निष्ठा उसी संविधान के प्रति ज्यादा गहरी होती है जो उसकी भावनाओं का खयाल रखता है।

संविधान की सफलता का रहस्य मुख्यतः इस तथ्य में निहित है कि इसकी रचना स्वयं भारत के लोगों ने की थी और सभा के सदस्यों ने एक ऐसे संविधान की रचना की थी जो राष्ट्र की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता था।

इसके निर्माण और इसकी सफलता के श्रेय में में जितना पुरूषों की भागीदारी थी उतना ही महिलाओं की भी हिस्सेदारी थी जो आज उसका साक्षात प्रमाण है, हंसा मेहता और दुर्गाबाईं देशमुख ने संविधान में बहस के दौरान ऐसे मुद्दे में उठाए जो आज भी समाज के लिए मिसाल है।

संदर्भ सूची

1. Austin,G. (1972). *Indian Constitution: Cornerstone of a Nation,* New Delhi: Oxford University Press.
2. CAD Vol 1 Page 272-273
3. Collected Work of Gandhi XXI: Page 105
4. Discussion on Abolition of Privy Council Jurisdiction Bill, C.A.D., Vol. IX, L.S.S., 17 September 1949, pp. 1615-1616.
5. Discussion on New Part XIV-A regarding Lang
6. Discussion on the Motion by Dr. B.R. Ambedkar to pass the Draft Constitution, C.A.D., L.S.S., Vol. XI, 22 November 1949, pp. 796
7. Discussion on the Motion by Dr. B.R. Ambedkar to pass the Draft Constitution, C.A.D., L.S.S., Vol. XI, 22 November 1949, pp. 797
8. Nagauri S L and Nauguri K (1922). Aadhunik Itihas ka Sarvekshn , Sublime Publication : Jaipur
9. फरवरी 1918 में भगिनी समाज, बॉम्बे में अपने भाषण में।
10. Vohra. A (2018) *Mahilayen aur swaraj,* Prakashan vibhag , New Delhi.

——==00==——